अतिआवश्यक
तत्काल
समय-सीमा

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल

क्रमांक 8121 /विधि/प्र.अ./लोस्वायांवि./2023 भोपाल, दिनांक 8/6/2023

प्रति,

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ ग्वालियर
(वि./यां.) परिक्षेत्र भोपाल

Urgent

विषय :– विभाग में कार्यरत कार्यभारित हैंडपंप मैकेनिकों द्वारा, प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से ही वेतनमान रू. 1150–1800/– प्राप्त करने हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किये गये न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभावी प्रतिरक्षण हेतु।

00

उपरोक्त विषयांतर्गत पूर्व में यह पाया गया था कि विभाग में कार्यरत कार्यभारित स्थापना के हैंडपंप मैकेनिकों को प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से ही नियमित स्थापना के हैंडपंप मैकेनिकों का वेतनमान रू. 1150–1800/– त्रुटिपूर्ण रूप से स्वीकृत किया गया था। कुछ वर्षो उपरांत यह ध्यान में आने पर कि कार्यभारित स्थापना एवं नियमित स्थापना के हैंडपंप मैकेनिकों के वेतनमान अलग–अलग हैं, तथा उनका वेतनमान रू. 950–1530/– है उन्हें प्राप्त हो रहे, गलत वेतनमान को सुधारा गया था, जिससे व्यथित होकर कुछेक कार्यभारित स्थापना के हैंडपंप मैकेनिकों द्वारा राज्य प्रशासनिक अभिकरण के समक्ष प्रकरण दायर किये गये थे, जिसमें उनके पक्ष में निर्णय पारित किया गया था तथा उन्हें पुनः नियमित स्थापना का उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने लगा था।

म.प्र.शासन, वित्त विभाग द्वारा अंतिम रूप से वर्ष 2008 में यह स्पष्ट किया गया था कि कार्यभारित हैंडपंप मैकेनिकों और नियमित स्थापना के हैंडपंप मैकेनिकों को दिनांक 01.01.1996 से एक ही वेतनमान प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में प्रमुख अभियंता, कार्यालय द्वारा कार्यभारित हैंडपंप मैकेनिकों के वेतन पुनरीक्षण हेतु वर्ष 2008 एवं 2009 में निर्देश जारी किये गये थे, किंतु इन निर्देशों के पालनार्थ अनेक खंडों में कार्यभारित हैंडपंप मैकेनिकों के वेतन पुनरीक्षित नहीं किये गये थे।

अंतिम रूप से विभाग द्वारा वर्ष 2018 में कार्यभारित हैंडपंप मैकेनिकों के वेतन पुनरीक्षण उपरांत वसूली माफी के आदेश जारी किये गये थे। इन आदेशों के उपरांत अनेक कार्यभारित हैंडपंप मैकेनिकों द्वारा प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से ही नियमित स्थापना के हैंडपंप मैकेनिक के समान वेतनमान रू. 1150–1800/– प्राप्त करने के लिये माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकायें दायर की गई हैं। इन रिट याचिकाओं का उद्देश्य वेतन पुनरीक्षण को ही निरस्त कराना है।

इस संबध में लेख है कि विभाग में इस प्रकृति का प्रकरण **म.प्र. शासन एवं अन्य विरूद्ध अजय सिंह राठौर एवं अन्य** जो राज्य प्रशासनिक अभिकरण से उद्भूत होकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा अंतिम रूप से निर्णित है, में अंतिम रूप से अभिनिर्धारित है

कि इन कर्मचारियों की वसूली माफ रहेगी किंतु इन्हें पुनरीक्षित वेतनमान यानि नियमित स्थापना के हैंडपंप मैकेनिक के समान वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.1996 से ही प्राप्त होगा। उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित सभी न्यायालयीन निर्णय आपके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया ध्यान दें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारण इस तथ्य के बावजूद किया है कि कार्यभारित हैंडपंप मैकेनिक कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से नियमित हैंडपंप मैकेनिक के वेतनमान का लाभ देने के आदेश पूर्व में माननीय राज्य प्रशासनिक अभिकरण द्वारा दिये गये थे, जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकी थी।

उपरोक्त न्याय दृष्टांत के अभाव में अनेक मामलों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभाग के विपरीत निर्णय पारित किए गये हैं, तथा कर्मचारियों को नियमित स्थापना के हैंडपंप मैकेनिक का वेतनमान रू. 1150–1800/– प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से ही स्वीकृत करने के आदेश दिये गये है। विभाग को ऐसे मामलों में बाध्यता में ऐसी स्वीकृति जारी करनी पड़ती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आप कृपया यह परीक्षण कर लें कि आपके परिक्षेत्र के अधीनस्थ इस प्रकृति के कितने न्यायालयीन प्रकरण प्रचलन में हैं, तथा उन सभी न्यायालयीन प्रकरणों में इस न्याय दृष्टांत को आवश्यक रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करावे। इससे इन प्रकरणों में प्रभावी प्रतिरक्षण के साथ ही विभाग के पक्ष में निर्णय की संभावना निर्मित होगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार
न्यायालयीन निर्णय

प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक 8921 /विधि/प्र.अ./लोस्वायांवि./2023 भोपाल, दिनांक 8/6/2023

प्रतिलिपि :–

(1) अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंडल भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि आपको "अजय सिंह राठौर" प्रकरण में पारित निर्णय के आधार पर रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिये इस कार्यालय के पत्र क. 3902 दिनांक 21.03.2023 द्वारा निर्देशित किया गया था, तथा आदेश क. 44 दिनांक 30.03.2023 के माध्यम से प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। कृपया रिव्यू पिटीशन की प्रति तत्काल इस कार्यालय को भिजवायें।

(2) कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड———— की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण ———————————— में उपरोक्त न्याय दृष्टांत आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार
न्यायालयीन निर्णय

प्रमुख अभियंता